बिहार शिक्षा परियोजना, गया।
शिक्षा भवन, गया – 823001
निविदा प्रपत्र

शिक्षा विभाग, बिहार के द्वारा राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा II से VIII में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का अर्द्ध वार्षिक मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु वर्ग II से VIII के लगभग 7,00,000 छात्र–छात्राओं के लिए सभी विषयों का हिन्दी एवं उर्दू माध्यम में अलग–अलग प्रश्न पत्र–सह– उत्तर पुस्तिका के मुद्रण की आवश्यकता है।

अतएव, मुद्रण हेतु निबंधित, योग्य एवं वित्तीय रुप में सुदृढ़ मुद्रकों से 23.08.2018 के अपराहन 05:00 बजे तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, गया के पदनाम से निर्धारित प्रपत्र में सभी वांछित प्रमाण–पत्रों अथवा अभिलेखों के साथ तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबन्द लिफाफे में मात्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। तकनीकी निविदा दिनांक 24.08.2018 को अपराहन 03:00 बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष क्रय समिति के वेश्म / कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

प्रश्न पत्र–सह–उत्तरपुस्तिका की विशिष्टियाँ :–

1	कागज का साईज	A 3 साईज (297mm x420mm)70 GSM
2	आपूर्ति किये जाने वाले प्रश्न पत्र–सह– उत्तर पुस्तिका का आकार	(280mm x418mm) 70 GSM
3	संख्या	लगभग 7,00,000 छात्र–छात्राओं के लिए
4	पृष्ठों की संख्या	01 पेज दोनो तरफ ब्लैक एण्ड व्हाइट मुद्रण
5	पैकेटिंग	वर्गवार एवं विषयवार हिन्दी माध्यम एवं उर्दू माध्यम (जहाँ लागू हो) के 500–500 प्रश्न पत्र–सह– उत्तर पुस्तिका का अलग–अलग बंडल बनाया जाएगा तथा बंडल के उपर वर्ग का नाम विषय एवं माध्यम का नाम एवं अर्द्ध वार्षिक मूल्यांकन – 2018 बोल्ड अक्षरों में मुद्रित रहेगा। बंडल इस तरह तैयार किया जाएगा जिससे कि बंडल के अंदर का प्रश्न पत्र–सह– उत्तर पुस्तिका ढुलाई के क्रम में नष्ट न हो।

निविदादाता के लिए शर्त एवं उपबंध

1. निविदादाताओं का मुद्रण एवं बाईडिंग से संबंधित बेभ ऑफसेट मशीन, अन्य सभी आवश्यक मशीने, प्री–प्रेस सिस्टम एवं बाईडिंग सिस्टम से सुसज्जित इकाई बिहार में कार्यरत होना चाहिए। जिसका भौतिक सत्यापन कराया जा सकता है।
2. निविदादाता को मुद्रण एवं बाईडिंग से संबंधित कार्य का कम से कम तीन वर्षो का अनुभव होना चाहिए।
3. निविदादाता का प्रेस बिहार राज्य के वैट/वाणिज्य कर विभाग से मुद्रक के रुप में निबंधित होना चाहिए। एवं जी०एस०टी० के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
4. निविदादाता का औसत वार्षिक टर्नओभर पिछले तीन वित्तीय वर्षो यथा 2014–15, 2015–16, 2016–17 का कम से कम 1,00,00,000/– (एक करोड़) रुपये प्रतिवर्ष होना चाहिए।
5. निविदा के साथ 100000/– (एक लाख) रुपये का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट अग्रधन के रुप में देना होगा। ड्राफ्ट बिहार शिक्षा परियोजना, गया के नाम से होना चाहिए, जो गया में भुगतेय हो।
6. निविदादाता का प्रेस किसी भी सरकारी /अर्द्धसरकारी या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो एवं किसी तरह का केस–मुकदमा में लिप्त/लंबित न हों।
7. निविदा द्विलिफाफा प्रणाली के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय निविदा के रुप में अलग–अलग लिफाफे में उसके उपर तकनीकी/वित्तीय अंकित कर देना होगा ।

तकनीकी निविदा :

निविदादाता के द्वारा एक तकनीकी निविदा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचनाओं के साथ निम्नांकित कागजात संलग्न करके निर्धारित तिथि तक समर्पित करना आवश्यक होगा :–

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षो यथा 2014–15, 2015–16, 2016–17 का अंकेक्षित वैलेंस सीट, जिससे वार्षिक टर्न ओवर परिलक्षित हो, की प्रति।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षो यथा 2014–15, 2015–16, 2016–17 का ऑडिट रिर्पोट की प्रति।

(ग) तीन कर निर्धारण वर्षो यथा 2014–15, 2015–16, 2016–17 का आयकर रिर्टन की प्रति।

(घ) मुद्रक के रुप में निबंधित होने का प्रमाण/पैन/टैन/जी0एस0टी0 निबंधित होने से संबंधित प्रमाण की प्रति।

(ङ) सरकारी विभाग में मुद्रण का कार्य करने संबंधी अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रति।

(च) निविदादाता के पास बेभ ऑफसेट एवं अन्य मशीनें, प्री–प्रेस, बाईडिंग की सभी सुविधाएँ उपलब्ध होने का प्रमाण–पत्र। बेभ ऑफसेट अंकेक्षित बैलेंस सीट (Balance sheet) के स्थाई परिसम्पति में प्रकट होना आवश्यक होगा।

(छ) निविदादाता का बिहार में इकाई कार्यरत होने (Total Staff Sterength) का प्रमाण–पत्र।

(ज) अग्रधन के रुप में एक लाख रुपये का बैंक ड्रॉफ्ट।

(झ) निविदादाता का प्रेस किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो एवं किसी तरह का केस–मुकदमा में लिप्त/लंबित न होने से संबंधित नोटराईज्ड (एफिडेविट) शपथ–पत्र।

(ञ) प्रश्न पत्र–सह– उत्तर पुस्तिका के निर्माण एवं पैकेटिंग/बंडलिंग में प्रयुक्त कागज/सामग्री का नमुना, साईज, GSM एवं पेपर मिल का नाम आदि स्पष्ट रुप में अंकित करते हुए संलग्न होना चाहिए।

(ट) निविदादाताओं के द्वारा सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित करके जमा किये जाएगें।

वित्तीय निविदा:

(क) निविदादाता के द्वारा वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक समर्पित करना आवश्यक होगा। बिलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किए जाएगा।

(ख) वित्तीय निविदा के लिफाफा के उपर सामग्री का विवरण स्पष्ट अंकित होना चाहिए।

(ग) वित्तीय निविदा में सभी कर एवं जिला कार्यालय तक परिवहन खर्च सहित प्रति इकाई का दर अंकित होना चाहिए।

(घ) तकनीकी रुप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

(ङ) उल्लेखनीय है कि अर्द्ध वार्षिक मूल्यांकन (मार्च 2018 में) हेतु प्राप्त निविदा में चयनित निविदादाता के द्वारा प्रस्तावित/निर्धारित दर 0.59 रुपये (उनसठ पैसे) सभी करों एवं भाड़ा सहित प्रति प्रश्न पत्र–सह– उत्तर पुस्तिका रही है जिसे वर्तमान निविदा में अनिवार्य रुप से ध्यान में रखा जाएगा।

(च) वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम दर वाले निविदादाता/ निविदादाताओं के साथ एकरारनामा किया जाएगा।

अन्य शर्त्त/उपबंध :

1. तकनीकी निविदा के साथ जमा किए गए कागजातों/प्रमाणों की भौतिक/स्थल सत्यापन करने के लिए कार्यालय स्वतंत्र होगा।
2. अंतिम रुप से चयनित फर्म/एजेन्सी को क्रय आदेश की प्रति कार्यालय से प्राप्त कर निदेशानुसार कारवाई सुनिश्चित करना होगा।
3. मुद्रण/निर्माण से संबंधित सभी सामग्री एवं कार्य की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर से करना होगा। जिसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त राशि अथवा अग्रिम राशि देय नहीं होगा।
4. निविदादाता के चयन के तीन दिनों के अन्दर कुल निविदा राशि का 5 प्रतिशत राशि का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बिहार शिक्षा परियोजना, गया के नाम से निर्गत एवं 12 माह के लिए वैध बैंक गारंटी परफॉरमेंश सिक्यूरिटी के रुप में जमा करते हुए एकरारनामा हस्ताक्षरित

करने के उपरान्त कार्यादेश निर्गत किया जाएगा तथा अग्रधन की राशि का बैंक ड्रॉफ्ट वापस किया जा सकेगा। विलम्ब की स्थिति में कार्यालय निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

5. उपर्युक्त सभी शर्तो एवं उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। किसी एक भी शर्त्त/उपबंध को किसी समय पूरा नहीं करने की स्थिति में दिए गए कार्यादेश/निविदा को रद्द करते हुए निविदादाता के अग्रधन की राशि/बैंक गारंटी को जब्त करते हुए उनके विरुद्ध कारवाई के लिए कार्यालय स्वतंत्र होगा।
6. निविदादाता के द्वारा क्रय आदेश के आलोक में जिला मुख्यालय को निर्धारित तिथि तक सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके लिए निर्धारित दर के अतिरिक्त अलग से कोई भाड़ा देय नहीं होगा। निविदादाता के द्वारा रनिंग विपत्र एवं जिला मुख्यालय अवस्थित कार्यालय को सामग्री प्राप्ति कराने संबंधी प्रमाण उपलब्ध कराने पर विपत्र का 75 प्रतिशत राशि का भुगतान देय होगा। एवं पूर्ण रुप से आपूर्ति के पश्चात मात्रा का सत्यापन एवं गुणवता जॉच कराकर शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।
7. मुद्रित प्रतियॉ/सामग्री निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने/मुद्रण में त्रुटि/अस्पष्टता रहने, मजबूत, बाईडिंग नहीं होने, मुद्रित सामग्री ससमय आपूर्ति नहीं करने/निविदा शर्तों से विचलन आदि की स्थिति में भुगतेय राशि से यथोचित राशि अथवा 10 प्रतिशत तक की राशि की कटौती एवं निविदादाता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए बिहार शिक्षा परियोजना, गया स्वतंत्र होगा।
8. निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/रद्द करने का सर्वाधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।

27.7.18

(असगर आलम खाँ)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE&SSA)
बिहार शिक्षा परियोजना, गया।

(मु0 मुस्तफा हुसैन मंसूरी)
जिला शिक्षा पदाधिकारी
गया।